

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग Ш—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2011/वैशाख 12, 1933

No. 921

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2011/VAISAKHA 12, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2011

सं. एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विचियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शतें) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल विनियम'' कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शतें) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 है।
 - (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (3) के पश्चात् एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(4) जहां विद्यमान या नई परियोजना के टैरिफ का अवधारण करने के लिए आवेदन इस विनियम के खंड (1) तथा खंड (2) के अनुसार आयोग के समक्ष फाइल किया गया है, वहां आयोग अंतिम टैरिफ आदेश जारी करने के पश्चात्, इस विनियम के खंड (3) के परंतुक के अनुसार, समायोजन के अधीन रहते हुए, अपने विवेकानुसार आवेदन में दावा की गई परियोजना की वार्षिक नियत लागत के 95% तक अनेतिम टैरिफ अनुदत्त कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसी विद्यमान या नई परियोजना, जिसके लिए अनीतेम टैरिफ प्रदत्त किया गया है, की बाबत यथास्थिति, क्षमता प्रभार की वसूली तथा उर्जा प्रभार या पारेषण प्रभार की वसूली इन विनियमों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाएगी।''

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन 111/4/150/11/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र सं. 10, असाधारण, भाग III, खंड 4, में तारीख 20 जनवरी, 2010 को प्रकाशित किए गए थे।

1563 GI/2011

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2011

No. L-7/145(160)/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the principal regulations"), namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2011.
 - (2) These regulations shall come into force with effect from the date of its notification in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations.—A new clause shall be added after clause (3) of Regulation 5 of the principal regulations as under, namely:—
 - "(4) Where application for determination of tariff of an existing or a new project has been filed before the Commission in accordance with clauses (1) and (2) of this regulation, the Commission may consider in its discretion to grant provisional tariff upto 95% of the annual fixed cost of the project claimed in the application subject to adjustment as per proviso to clause (3) of this regulation after the final tariff order has been issued:

Provided that recovery of capacity charge and energy charge or transmission charge, as the case may be, in respect of the existing or new project for which provisional tariff has been granted shall be made in accordance with the relevant provisions of these regulations."

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT III/4/150/11/Exty.]

Note: The principal regulations were notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th January, 2010 at \$1. No. 10.